

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 07.07. , 2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.5725 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD Department for the construction of Tandi Sirum Batahan road km 0/0 to 4/0 of Tandi/102 village in Sadar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.5725 Hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.


District Collector,
Mandi District Mandi H.P.

Annexure-

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा- तानदी

ग्राम पंचायत- जनेर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या- 1

दिनांक- 8-8-2014

वन अधिकार समिति मुहाल सभा तानदी की बैठक आज दिनांक 8-8-2014 को 11 बजे स्थान तानदी में श्री/श्रीमति जनेर की अध्यक्षता की गई जिसमें तानदी मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन- 8-7

सही दावों का व्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
—	—	—	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है।
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
—	—

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

तानदी मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान- तानदी
दिनांक- 8-8-2014

सचिव
वन अधिकार समिति

मुहाल तानदी
ग्राम जनेर

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा
ग्राम पंचायत

ग्रामवासी/ग्रामम.वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Atkhd

अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रक्रिया के तहत

मुहल का नाम ताब्दी
 वन अधिपति का नाम जन्नेड
 मुहल सभा सदस्य संख्या 450
 उपस्थित सदस्य संख्या 232

प्रतिष्ठित 4/7/2015

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 4-7-2015

मुहल सभा ताब्दी की बैठक आज दिनांक 4-7-2015 को 11 बजे
 स्थान ताब्दी में आयोजित। गिरधारी लाल की अध्यक्षता में की गई
 उपरोक्त मुहल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार है। जिसने ताब्दी मुहल के अनुसूचित
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों को सम्बन्धित अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
 मुहल सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्रस्तुत हुए। निम्नांकितों के आवेदनों
 चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अर्धपट्टन तथा एचएस विस्तृत
 दलों के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई -

कुल प्राप्त आवेदन सुप

सहा दावा का ब्योरा

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जमाल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
—	—	—	—

तदनुसार यह मुहल सभा इस दावे इन दावा को पारित करते हुए इसे अपूर्ण की शर्तों को प्रोष
 करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा निम्नानुसार है जो कि जमा, गया -

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
—	—

तदनुसार मुहल सभा इस दावे इन दावा को पारित करते हुए इसे अपूर्ण की शर्तों को प्रोष
 करती है। इस मुहल सभा की वन अधिकारी समिति से जमा दस्तावेजों के अनुसार मुहल ताब्दी का जमा
 अधिकार का जमा प्राप्त नहीं हुआ।

सह ताब्दी

अध्यक्ष

निम्न अधिकारी

सचिव

सह ताब्दी

Annexure- III

**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), SADAR MANDI
DISTRICT MANDI H.P.**

**Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other
Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi Sadar Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Dr. Madan Kumar, HPAS SDO (Civil), Sadar Mandi on 06.10.2016 at 11.00 A.M at Mandi in which the application(s) of the applicant(s) of Tandi Gram Sabha, claiming rights in FRC Tandi forest area(s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by Tandi Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee :-

Sr. No.	Name of the Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	NA.....		
2.	NA.....		

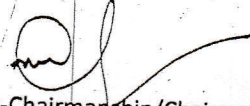
Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of the Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	NA.....		
2.	NA.....		

As informed by Tandi Gram Sabha, no application was received claiming rights in Tandi Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place : Mandi
Date : 06.10.2016


SDO (Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship
SDLC, Sadar Mandi District Mandi H.P.

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said Forest Area.

AKHIL

बति. जिला दफ्तरीकारी
मण्डो जिला मण्डो (1)

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा तान्दी
विकास खण्ड बल्लू जिला मण्डी (हि.प्र.)
(25/10/2015)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 7-10-2015प्रस्ताव संख्या 2गणपूर्ति 235/450

विषय हि.प्र. लो. नि. विभाग (विभाग / संस्था को तान्दी सिरम बटाहण रोड के निर्माण हेतु चमायत जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.5725 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा तान्दी की बैठक आज दिनांक 07-10-2015 को 11 बजे स्थान जनेड में की गई। जिसमें हि.प्र. लो. नि. विभाग विभाग / संस्था को तान्दी सिरम बटाहण रोड के निर्माण हेतु चमायत जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.5725 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.5725 हेक्टेयर वन भूमि को तान्दी सिरम बटाहण रोड निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा तान्दी की सहमति दी जाती है।

बन्दोबस्त के दौरान वैधान्तिक की गई ताजिल उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संपादन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सामां वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान - जनेडदिनांक - 07-10-2015Attyal

3m
अति. जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)
h

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

Tanuj
सचिव

वन अधिकार कमेटी मुहाल तान्दी
ग्रा.पं. जनेड, त. सदर जिला मण्डी (हि.प्र.)

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 07.07. , 2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

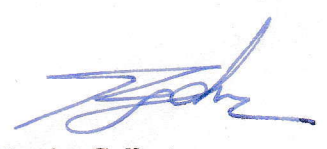
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.7244 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD Department for the construction of Tandir Sirum Batahan road km 0/0 to 4/0 of Garnehar/103 village in Sadar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.7244 Hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.


District Collector,
Mandi District Mandi H.P.

Annexure-I

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा

ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकार समिति मुहाल सभा की बैठक आज दिनांक को वजे स्थान में श्री/श्रीमति की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई—

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा—

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इराकी सिफारिश करती है।
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान
दिनांक

सचिव
वन अधिकार समिति

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा
ग्राम पंचायत

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Hand

जिला दण्डाधिकारी
जिला मण्डली (दिप)

मुहाल का नाम गनोहड
 वन अधिकार का नाम गनोहड
 मुहाल तमा नदर सख्या 245
 उपस्थित सदस्य संख्या 154

प्रतिपक्षी प्रस्ताव

प्रस्ताव सख्या 2

दिनांक 5-7-201

मुहाल सभा गनोहड का बैठक संख्या 5-7-2015 का 11 वा.
 स्थान गनोहड में आयोजित गनोहड की उपस्थिति की ग.
 उपरोक्त मुहाल सभा की गणपति निम्न प्रकार से है गनोहड सभा के अनुसार
 जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की भाव्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत
 मुहाल सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के अनुसार प्राप्त हुए। सकारात्मक व आवंटन
 वचा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के लिए परस्पर परस्परता के अभाव में तथा उक्त विस्त
 सचों के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई

कुल प्राप्त आवेदन रुपय

सही दावों का ब्यौरा

क्रम संख्या	पात्र गों वसो के नाम	जन्म का नाम	वन अधिकार का ड
-------------	----------------------	-------------	----------------

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों के पारित करते हुए इसी उप-खण्ड की सचिवा की ओर
 करता है।

उपरायत में से निम्नलिखित पात्रों का दावा निम्नानुसार सही/गलत किया गया

क्रम संख्या	पात्र गों वसो के नाम
-------------	----------------------

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करता है
 इस मुहाल सभा की इन अधिकार समिति से प्राप्त सचों के अनुसार मुहाल सभा इस दावे को
 अस्वीकार करती है।

गनोहड

दिनांक 5-7-2015

Attus

विभागाध्यक्ष

गनोहड

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा गनेहड
विकास खण्ड बनेह जिला मण्डी (हि.प्र.)

गनेहड
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05-07-2015

प्रस्ताव संख्या 03

गणपूर्ति 144/245

विषय- हि.प्र. लो. नि. वि. भाग (विभाग/संस्था को तान्दी सिम बटाह रोड के निर्माण हेतु बैज तुंगा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.7244 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा गनेहड की बैठक आज दिनांक 05-07-2015 को 11 बजे स्थान जनेहड में की गई जिसमें हि.प्र. लो. नि. वि. भाग विभाग/संस्था को तान्दी सिम बटाह रोड के निर्माण हेतु बैज तुंगा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.7244 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह प्रारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.7244 हैक्टेयर वन भूमि को तान्दी सिम बटाह रोड निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा गनेहड की सहमति दी जाती है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई दफ्तर उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन सन्तान के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत गोमारे वन विभाग के अभिलेख के अनुसार हो माने गए।

स्थान - जनेहड

दिनांक 05-07-2015

Atcharya

वति. जिला वन अधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

गनेहड
वन अधिकार समीक्षा मुहाल गनेहड
ग्रा.प. जनेहड, त. सदर जिला मण्डी (हि.प्र.)

Annexure- III

**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), SADAR MANDI
DISTRICT MANDI H.P.**

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi Sadar Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Dr. Madan Kumar, HPAS SDO (Civil), Sadar Mandi on 06.10.2016 at 11.00 A.M at Mandi in which the application(s) of the applicant(s) of **Ganehar** Gram Sabha, claiming rights in FRC **Ganehar** forest area(s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by **Ganehar** Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee :-

Sr. No.	Name of the Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	NA.....		
2.	NA.....		

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of the Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	NA.....		
2.	NA.....		

As informed by **Ganehar** Gram Sabha, no application was received claiming rights in **Ganehar** Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place : Mandi
Date : 06.10.2016

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship
SDLC, Sadar Mandi District Mandi H.P.

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said Forest Area.

Attd

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 16.10., 2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.3262 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD Department for the construction of Tandi Sirum Batahan road falls under jurisdiction of Batahan village in Sadar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3262 Hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.


District Collector,
Mandi District Mandi H.P.

वन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2008 Annexure-I
वन अधिकार समिति

मुहाल सभा वडाहण
ग्राम पंचायत नोठा गैहरी

क्रम संख्या 02

प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक 20-11-2014

वन अधिकार समिति मुहाल सभा वडाहण की बैठक आज दिनांक 20-11-14 को 11 बजे काठागढ़ PS
मुहाल में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 के अंतर्गत वन
अधिकारों के लिए दावे प्राप्त हुए गांधवासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के
साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

सही दावों का ब्योरा:-

कुल प्राप्त आवेदन:- शून्य

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
<u>6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा में इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में
से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
<u>0</u>	<u>0</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:

मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों
एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के
मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान
दिनांक 20-11-2014

सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा वडाहण
ग्राम पंचायत नोठा गैहरी
(हि.प्र.)

प्रमुख
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा
ग्राम पंचायत वडाहण
(हि.प्र.)
हिमाचल प्रदेश।

Atchul

वति० जिला दम्भाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा का नाम वडाहवा
ग्राम पंचायत का नाम कोठी गैहरी
मुहाल सभा सदस्य संख्या 40
उपस्थित सदस्य संख्या 21

प्रस्ताव संख्या 2

प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक 30-12-14

मुहाल सभा वडाहवा की बैठक आज दिनांक 30-12-14 को 30 बजे वडाहवा GPS स्थान में श्री/श्रीमती चेतसि की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें वडाहवा मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
<u>8</u>	<u>0</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल वडाहवा में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई पाजिब सेल्स-अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान
दिनांक

वडाहवा
30-12-2014

सचिव पद्मावत साधव
ग्राम पंचायत कोठी गैहरी
ने ख बल्लू जिला मण्डी (हि प्र)

सचिव पद्मावत साधव
ग्राम पंचायत कोठी गैहरी
ने ख बल्लू जिला मण्डी (हि प्र)

प्रधान Chet Ram
वन अधिकार समिति
मुहाल वडाहवा
ने ख बल्लू जिला मण्डी (हि प्र)

Atishd

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बलहण

विकास खण्ड बलहण जिला: मण्डी (हि.प्र.)।

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 30-12-14

गणपूर्ति 334/556

प्रस्ताव संख्या 13

विषय:- हि.प्र. लो. वि. वि. (विभाग/संस्था को सांन्दी सिम बलहण के निर्माण हेतु चमायत जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.3262 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा बलहण की बैठक आज दिनांक 30-12-2014 को 3000 बजे स्थान बलहण GRS में की गई जिसमें हि.प्र. लो. वि. वि. विभाग/संस्था को सांन्दी सिम बलहण के निर्माण हेतु चमायत जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.3262 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाते पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.3262 हैक्टेयर वन भूमि को सांन्दी सिम बलहण ग्रह निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा बलहण की सहमति दी जाती है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान बलहण

दिनांक 30-12-2014

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

साचिव ग्राम सभा
ग्राम पंचायत कोठी गैहरी
जिला मण्डी (हि.प्र.)

साचिव ग्राम पंचायत कोठी गैहरी
जिला मण्डी (हि.प्र.)

अधीन Chet Ram
अधिकार समिति
विकास खण्ड बलहण

ANNEXURE-III

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), BALH, DISTRICT MANDI, H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Balh Sub Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Siddhartha Acharya, HAS SDO (Civil), Balh, District Mandi on 05-05-2017 at 11.00 AM at Balh in which the application(s) of the applicant(s) of Batahan Gram Sabha claiming rights in FRC Batahan forest area(s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by Baatahan Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claim of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee:-

Sr. No.	Name of Applicants*	Name of Forest Details of Forest Right
1	-----	-----NA-----
2	-----	-----NA-----

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of Applicant*	Name of Forest Detail of Forest Right
1	-----	-----NA-----
2	-----	-----NA-----

As informed by Batahan Gram Sabha, no application was received claiming right in Batahan Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhlas as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhlas and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserves forest, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place:- Balh

Date:- 05-05-2017

SDO(Civil)-cum-Chairmanship/Chairpersonship
SDLC, Balh, District Mandi, H.P.

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said Forest Area.

Atto 21

Proceeding of the meeting of the District Level Forest Right Committee held under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Mandi on 06.06.2016.

The following were present in the meeting:

Member Secretary

1. Addl. District Magistrate, Mandi
2. Sub Divisional Officer (C) Sundernagar
3. Sub Divisional Officer (C) Sadar
4. Sub Divisional Officer (C) Karsog
5. Sub Divisional Officer (C) Gohar
6. Sub Divisional Officer (C) Padhar
7. Sub Divisional Officer (C) Jogindernagar
8. Sub Divisional Officer (C) Dharampur
9. Divisional Forest Officer, Mandi
10. Divisional Forest Officer, Nachan
11. District Revenue Officer, Mandi
12. Tehsildar Sarkaghat
11. R.O Jogindernagar
12. Sant Ram Thakur, Zila Parishad Member, Balichowki
13. Pradeep Kumar, Zila Parishad Member, Ward No. 30 Behal
14. Rajni Nail, Zila Parishad Member

Member

Member

Member

the Chair started the meeting.

At the very outset the Chairman-cum Deputy Commissioner Mandi, welcomed all the participants. The Member Secretary with the permission of the Chair started the meeting.

Number of proposal under FRA which were received from various Sub Division:-		Number of Proposal
Sr. No.	Name of Sub Division	
1.	Sadar (Rural) and (Sadar Urban)	203
2.	Karsog	63
3.	Sarkaghat	120
4.	Sundernagar	45

Attd

रवि. विना दण्डाधिकारी
मुख्य विना मंडी (पे. म.)

16.	Sadar (Rural)	Galma	Kotlu	8-6-14	10-2-2015	18-4-2015	18-5-16	Case is fit
17.	Sadar (Rural)	Brikhmani	Brikhmani	8-6-14	15-9-2014	4-1-2015	18-5-16	Case is fit
18.	Sadar (Rural)	Brikhmani	Chowkri	8-6-14	17-10-2014	30-1-2015	18-5-16	Case is fit
19.	Sadar (Rural)	Brikhmani	Kafloun	8-6-14	18-10-2014	30-1-2015	18-5-16	Case is fit
20.	Sadar (Rural)	Brikhmani	Treyambli	8-6-14	16-10-2014	30-1-2015	18-5-16	Case is fit
21.	Sadar (Rural)	Brikhmani	DPF Makooa	8-6-14	15-10-2014	30-1-2015	18-5-16	Case is fit
22.	Sadar (Rural)	Mandal	Mandal	18-6-14	18-10-2014	8-6-2015	18-5-16	Case is fit
23.	Sadar (Rural)	Mandal	Arthi	8-6-14	2-10-2014	1-6-2015	18-5-16	Case is fit
24.	Sadar (Rural)	Behna	Behna	23-2-14	19-4-2015	19-5-2015	18-5-16	Case is fit
25.	Sadar (Rural)	Bhadyal	Tikker	23-2-14	23-3-2015	23-3-2015	18-5-16	Case is fit
26.	Sadar (Rural)	Bhadyal	Malwana	23-2-14	23-3-2015	23-3-2015	18-5-16	Case is fit
27.	Sadar (Rural)	Troh	Troh	8-6-14	12-5-2015	12-5-2015	18-5-16	Case is fit
28.	Sadar (Rural)	Troh	Pipili	3-8-14	14-5-2015	14-5-2015	18-5-16	Case is fit
29.	Sadar (Rural)	Troh	Bushehar	8-6-14	11-05-2015	11-5-2015	18-5-16	Case is fit
30.	Sadar (Rural)	Janed	Janed	23-2-14	20-8-2014	1-7-2015	18-5-16	Case is fit
31.	Sadar (Rural)	Janed	Sarai	7-8-14	23-2-2014	24-6-2015	18-5-16	Case is fit
32.	Sadar (Rural)	Janed	Ganehar	23-2-14	16-8-2014	5-7-2015	18-5-16	Case is fit
33.	Sadar (Rural)	Janed	Tandi	23-2-14	8-8-2014	4-7-2015	18-5-16	Case is fit
34.	Sadar (Rural)	Badsu	Badsu	2-3-14	9-6-2014	29-1-2016	18-5-16	Case is fit
35.	Sadar (Rural)	Badsu	Brahah	23-2-14	28-5-2014	21-2-2015	18-5-16	Case is fit
36.	Sadar (Rural)	Badsu	Palvani	11-5-14	17-8-2014	2-2-2015	18-5-16	Case is fit

APB/14

अति. जिला दण्डाधिकारी
राजकी जिला मण्डली (दि. २२.२.२०१५)

39		Maseran	Bhatoh	16-05-2015	24-08-2015	26-12-2015	29-12-2016
40		Maseran	Bahlida Check	12-05-2015	22-08-2015	24-08-2015	29-12-2016
41		Maseran	Hawani	15-05-2015	25-08-2015	25-12-2015	29-12-2016
42		Maseran	Rasher	13-05-2015	18-08-2015	25-11-2015	29-12-2016
43		Kashmaila	Kashmailui	04-02-2016	16-05-2016	26-05-2016	29-12-2016
44		Kashmaila	Rehri	04-02-2016	16-05-2016	26-05-2016	29-12-2016
45		Chowk	Hawani	15-08-2014	20-11-2014	20-11-2014	29-12-2016
46		Paunta	Badoi	29-10-2015	10-02-2016	10-02-2016	29-12-2016

The detailed discussion and scrutiny of the proposals and documents placed on record mentioned against the following Sub-

Divisions were found in order:-

Sr. No.	Name of Sub Division	Number of Proposal
1.	Sundernagar	46
2.	Jogindernagar	13
3.	Sadar	5
4.	Sarkaghat	46
	Total	110

Thus keeping in view the recommendation of SDLC and discussion in DLC the claims of ST and other Forest dwellers of 110 mulhals are settled and same are found to be nil.

प्रति जिला दफ्तर फिकारी
मुख्य जिला मजिस्ट्रेट (हि.प्र.)

Sandeep Kadam, IAS,
Deputy Commissioner,
Mandi District, Mandi.
Phone No. 01905-225201.

Proceeding of the meeting of the District Level Forest Right Committee held under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Mandi on 01.06.2017.

The following were present in the meeting:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Addl. District Magistrate, Mandi | |
| 2. Sub Divisional Officer (C) Sundernagar | Member Secretary |
| 3. Sub Divisional Officer (C) Sadar | |
| 4. Sub Divisional Officer (C) Sarkaghat | |
| 5. Sub Divisional Officer (C) Gohar | |
| 6. Sub Divisional Officer (C) Padhar | |
| 7. Sub Divisional Officer (C) Jogindernagar | |
| 8. Sub Divisional Officer (C) Dharampur | |
| 9. Divisional Forest Officer, Mandi | Member |
| 10. Divisional Forest Officer, Jogindernagar | Member |
| 11. ACF Sundernagar | |
| 12. Tehsildar Karsog | |
| 13. Sant Ram Thakur, Zila Parishad Member, Balichowki | Member |
| 14. Pradeep Kumar, Zila Parishad Member, Ward No. 30 Behal | Member |
| 15. Rajni Nail, Zila Parishad Member | Member |

At the very outset the Chairman-cum Deputy Commissioner Mandi, welcomed all the participants. The Member Secretary with the permission of the Chair started the meeting. Following proposal under FRA were put for discussion:-

Sr. No.	Sub Division	Name of Scheme
1	Balh	0.44 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from H.B Kapahad Batahan falls within the jurisdiction of Batahan village in Balh Tehsil
2		0.43 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from Kothi Tehad Rakehad Batahan falls within the jurisdiction of Batahan village in Balh Tehsil.
3		0.95 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from Galu School to Jhaklodh falls within the jurisdiction of Batahan village in Balh Tehsil.
4		0.32 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from Batahan Naun to Guga Mandir falls within the jurisdiction of Batahan village in Balh Tehsil
5		0.44 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from Rakehad Nalla to Harizan Basti Naagrihda falls within the jurisdiction of Batahan village in Balh Tehsil
6		0.62 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road from Patroun to Ghambarkhad falls within the jurisdiction of Ghambarkhad village in Balh Tehsil.
7		0.91 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link road Ghasani Bugal to Dameli Rihri

Attyd